

09.2023

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस  
आदेश

दिनांक 05.09.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री मुकेश गोयल
2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीगण हाल खसरा संख्या 894 रकबा 220.15 बीघा ग्राम करमों की ढाणी स्थित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है और भू प्रबन्ध विभाग वालों ने समरी में आई भूमि में कमी करते हुए 150.14 बीघा ग्राम सगरा में इन्द्राज की गई और उक्त भूमि खसरा संख्या 894 रकबा 220.15 बीघा के चक में है जिसे प्रतिवादीगण का अवैध रूप से बेदखल करने पर उतारू है। भूमि पर कब्जा काश्त वक्त जागीरी से आज तक चला आ रहा है और उक्त खसरा में ही प्रार्थीगण के तीन पक्के कमरे ईंटों से निर्मित किए हुए हैं जिसमें प्रार्थीगण का रहवास हैं, भूमि प्रबन्ध विभाग वालों ने दौराने पैमाईश मौके पर पैमाईश की गयी थी और वक्त पैमाईश उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रदोबदल करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है यदि रेस्पोंडेंटस अपने उदेश्य में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट की अपील का उदेश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

3। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।  
रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई हक नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्क्टर जैसलमेर के राजस्व आवेदन संख्या 31/2023 बअनवान प्रयागसिंह वगै. बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 05.09.2023 को सुनाया गया।

  
(प्रतिष्ठा पिलानिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर